कार्यालय जिला पंचायत, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

आदेश

क्रमांक / 7528 /जि.पं. /व्याख्याता(पंचायत)(PRL) /2017 रायगढ़, दिनांक 04-12-2017

छ.ग. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2012 तथा छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग डी.के.एस. भवन मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना /कमांक /पं. /पंग्राविवि /22 /2012 /1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 एवं अधिूसचना कमांक /पंचा.142 /पंग्राविवि /22 /2012 /1563 रायपुर दिनांक 19.11.2012 द्वारा संशोधित तथा समय–समय पर प्रकाशित संबंधित नियमों के अधीन तथा पंचायत संचालनालय का पत्र कमांक पंचायत/शिक्षा/2017/237 नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 एवं पत्र कमांक/ पंचायत/शिक्षा/2017/881 नया रायपुर दिनांक 20.11.2017अनुसार छत्तीसगढ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जारी मेरिट क्रम के अनुसार जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 28.11.2017 में चयन सूची के अनुमोदन उपरान्त व्याख्याता (पंचायत) के पद पर जिले में संचालित शासकीय हाईस्कूल /शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वेतनमान 5300-150-8300 के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा स्वीकार्य महंगाई भत्ता एवं अधोलिखित शर्तो के तहत अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.	Roll No.	नाम	पिता /पति का नाम	विषय	Gender	category	BED	पदस्थापना शाला का नाम	विकासखण्ड
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	110720307	SALIM TOPPO	RIMJIUS TOPPO	MATHEMATICS	M	ST	NO	उमावि राजपुर	लैलूंगा
2	132330156	CHANCHALA BANJARE	BHARAT LAL BANJARE	PHYSICS	F	SC	NO	उमावि औरदा	पुसौर
3	131220156	DEVENARAYAN SINGH NETAM	MANGLURAM NETAM	MATHEMATICS	M	ST	NO	उमावि फरकानारा	खरसिया
4	170220063	INDU NAGESIYA	JEETU RAM NAGESIYA	MATHEMATICS	F	ST	NO	उमावि धौंराभांठा	तमनार
5	131220495	DEV KUMARI	RAM SINGH	MATHEMATICS	F	ST	NO	उमावि जोबी	खरसिया
6	131120004	SHIV SHANKAR	RAM SINGH	MATHEMATICS	M	ST	NO	उमावि हाटी	धरमजयगढ
7	131320317	RAMESHWARI	KAUSHLESH KUMAR	MATHEMATICS	F	SC	NO	हाईस्कूल ससकोबा	धरमजयगढ
8	170220092	KSHEER SAGAR DIWAN	MELA RAM DIWAN	MATHEMATICS	F	ST	NO	उमावि छिन्द	सारंगढ
9	160520496	SEEMA JANGDE	MOHAN SINGH JANGDE	MATHEMATICS	F	SC	NO	हाईस्कूल परसदा बडे	सारंगढ

10	132480059	MONA LAKRA	LIBNUS LAKRA	SCIENCE GROUP	F	ST	NO	हाईस्कूल गनपतपुर	धरमजयगढ़
11	110280031	MAHIMA LAKRA	ISHWAR LAKRA	SCIENCE GROUP	F	ST	NO	कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जमरगा	धरमजयगढ़
12	110720004	SUSHIL KUMAR RATHIA	YUDBAL SINGH RATHIA	MATHEMATICS	M	ST	NO	उमावि सिसरिंगा	धरमजयगढ़
13	132530052	NEHA TOPPO	AJAYDAN TOPPO	PHYSICS	F	ST	NO	उमावि कपरतुंगा	सारंगढ़
14	110720375	PRAN SAI MINJ	GHASIYA RAM	MATHEMATICS	M	ST	NO	हाईस्कूल रायमेर	धरमजयगढ़
15	132480117	ASHISH LAKRA	VIJAY LAKRA	SCIENCE GROUP	M	ST	NO	हाईस्कूल भकुर्रा	लैलूंगा
16	131320213	YAMUNA SIDAR	BHAKULAL SIDAR	MATHEMATICS	F	ST	NO	उमावि कुडूमकेला	घरघोडा

1. प्रमाणित किया जाता है कि छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 एवं संशोधित नियम 2012 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियम तथा उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों के लिये आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है ।

शर्ते :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, चयनित उम्मीद्वार द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
2. <u>परिवीक्षा :-</u> व्याख्याता (पंचायत) के पद पर सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी स्कूल विशेष के लिये दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जावेगा, जिसे पांच वर्ष तक बढाया जा सकेगा । जिससे व्याख्याता (पंचायत) पूरी परिवीक्षा कालावधि तक उसी स्कूल में कार्य कर सके । प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता(पंचायत) के कार्य का आंकलन किया जायेगा ।

   दो वर्ष की परिवीक्षा कालावधि पश्चात शिक्षाकर्मी के कार्य तथा उनके आचरण के आधार पर जिला पंचायत परिवीक्षा अवधि हटा सकेगी । यदि किसी व्याख्याता(पंचायत) का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि एक से दो वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी । इसके पश्चात पुनः बढ़ाई गई कालावधि के अंत में उसके कार्य का आंकलन किया जायेगा । यदि फिर भी उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।
3. कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है तो जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
4. कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, पाये जाने पर उक्त नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

5. **अनुशासन व नियंत्रण :-** व्याख्याता (पंचायत) जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे । दीर्घ शास्ति के लिये यथास्थिति जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति तथा लघु शास्ति के लिये जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे ।

6. **छत्तीसगढ सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 5(दो) में प्रावधान किया गया है कि कोई भी पंचायत सेवक, अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा ।**

7. **अभ्यर्थी को नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के अन्दर बीएड पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपाधि प्राप्त करनी होगी ।**

8. **सेवा समाप्ति :-** व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता(पंचायत) को लिखित में एक मास की सूचना देकर या एक मास का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने के दायित्वधीन होंगी ।

9. **सामान्य सेवा शर्तें :-** व्याख्याता (पंचायत) की ऊपर वर्णित शर्तों से भिन्न, सेवा की शर्तें यथास्थिति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होंगी ।

10. नियुक्त किये गये व्याख्याता(पंचायत) को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व शैक्षणिक संस्था में कार्यभार ग्रहण करते समय मूल प्रमाणपत्र संबंधित संस्था में अनिवार्य रूप से अवलोकन कराना होगा एवं समस्त प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु जमा करना होगा ।

11. प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों की वैधानिकता प्रमाणित करने का भार नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) पर होगा ।

12. **चिकित्सा प्रमाण पत्र :-** प्रत्येक चयनित व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । विकलांग संवर्ग से चयनित अभ्यर्थियों को विकलांगता के संबंध में मेडिकल बोर्ड का अद्यतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह भी उल्लेख होना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति किस प्रकार के विकलांगता (दृष्टिबाधित, मूक-बधिर श्रवण बाधित, अस्थि बाधित या अन्य विकलांगता) से ग्रसित है ।

13. **पुलिस चरित्र सत्यापन :-** नियुक्ति के एक माह के भीतर पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा । पुलिस सत्यापन में किसी भी प्रकार की विरूद्ध टिप्पणी होने पर इनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी। समस्त अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र (अनुप्रमाणक फार्म-3) को स्वतः भरकर जिला पंचायत रायगढ़ में जमा करना अनिवार्य है ।

14. उक्त नियुक्ति प्रकिया में यदि कोई न्यायालयीन प्रकिया होती है, तो नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) उक्त प्रकिया के निर्णय अंतर्गत बाध्य होंगे ।

15. नियुक्ति आदेश में दर्शित कमानुसार ही व्याख्याता (पंचायत) का नाम जिला पंचायत की वरिष्ठता सूची में दर्शित किया जावेगा ।

16. "यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा जाति /जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, से सम्बद्ध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही की जा सकती है संबंधी कार्रवाई के अतिरिक्त संबंधित की सेवाएँ समाप्त कर दी जाएगी ।"

17. चयन एवं आदेश में कार्यालयीन लिपिकीय त्रुटि का सुधार किया जाना संभव होगा ।

18. चयनित अभ्यर्थियों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर अथवा कार्यालय द्वारा पुर्नपरीक्षण के दौरान आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण-पत्र आदि फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक करने अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

19. उम्मीद्वार को सर्वप्रथम जिला पंचायत रायगढ़ कार्यालय में समस्त मूल प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । नियत तिथि तक कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उनके स्थान पर प्रावीण्य सूची से प्रावीण्यता के आधार पर अन्य उम्मीद्वार को नियुक्ति प्रदान किया जावेगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक / 7529 /जि.पं. /व्याख्याता(पंचायत)(PRL) /2017 — रायगढ़, दिनांक 04.12.2017

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
3. आयुक्त आदिवासी, विकास विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर
4. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
5. आयुक्त, निःशक्तजन छ.ग. शासन जिला पंचायत भवन (जी.ई.रोड़) दुर्ग
6. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
7. संचालक, सैनिक कल्याण बोर्ड संचालनालय छत्तीसगढ़
8. कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.
9. पुलिस अधिक्षक रायगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक कल्याण बोर्ड जशपुर नगर
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
12. जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़
13. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग रायगढ़
14. जिला रोजगार अधिकारी रायगढ
15. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
16. सर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. प्राचार्य, शास.उ.मा.वि. /हाई स्कूल .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. संबंधित श्री /श्रीमती /कुमारी .... व्याख्याता(पंचायत) को पालनार्थ । आप सर्व प्रथम जिला पंचायत कार्यालय में मूल प्रमाणपत्रों, मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र /अनुप्रमाणक फार्म–3 एवं शर्ते कमांक 3 एवं 4 के संबंध में शपथपत्र, के साथ दिनांक 15/12/17............ तक कार्यभार ग्रहण करें । नियत तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न किये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

प्रति,
जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
रायगढ़
कृपया इसे अपने वेबसाइट Raigarh.gov.in में अपलोड करें ।

अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)